झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
संकल्प

विषयः—बासुकीनाथ नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत Annuity Model के आधार पर LED पथ प्रकाश व्यवस्था के अधिष्ठापन हेतु कुल 54,45,027/—रू० की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

3952
22/06/17

74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से नागरिकों को मौलिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है। इस क्रम में शहरी क्षेत्र की सड़कों पर सुरक्षित आवागमन एवं अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से पथ–प्रकाश की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कार्य है।

पुनः नित्य विकास की ओर अग्रसर झारखण्ड राज्य में ऊर्जा की निरंतर बढ़ती हुई आवश्यकताओं एवं बिजली की कमी को देखते हुए ऊर्जा दक्ष तकनीक एवं उपकरणों का उपयोग समयानुकूल है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के एक अनुमान के अनुसार पारम्परिक स्ट्रीट लाईटिंग को एलईडी में परिवर्तित कर लगभग 50% ऊर्जा की बचत की जा सकती है।

2. उक्त क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–4378 दि०–09.08.2016 के द्वारा मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त कर झारखण्ड राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में Annuity Model के आधार पर LED पथ प्रकाश व्यवस्था के अधिष्ठापन हेतु ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत संयुक्त क्षेत्रीय उपक्रम M/s Energy Efficiency Services Ltd. (EESL) की मनोनयन के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. M/s EESL के द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार बासुकीनाथ नगर पंचायत में कुल 544 पारंपरिक स्ट्रीट लाईट के स्थान पर LED स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन की आवश्यकता है। मेसर्स EESL द्वारा उक्त स्वीकृति के क्रम में बासुकीनाथ नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत पारंपरिक स्ट्रीट लाईट के स्थान पर LED स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन तथा CCMS (Central Control & Monitoring System) के लिए Earthing के प्रावधान हेतु Annuity Model के आधार पर कुल **54,45,026/—रू०** का योजना प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

4. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के पत्रांक–290 (S&D), दिनांक–30.05.17 द्वारा अग्रसारित उक्त योजना हेतु मेसर्स EESL द्वारा तैयार प्राक्कलन पर अभियंता प्रमुख, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा निम्नवत् तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी हैः—

(A)	Replacement of Conventional light with LED Lights (7353 Nos.)				
S.No	Name of Material	Quantity	Supply Rate	Manpower cost	Amount (Rs.)
1	LED light-190 W	54	Rs. 90/Watt	Rs. 10/Watt	1026000
2	LED light-120 W	130	Rs. 90/Watt	Rs. 10/Watt	1560000
3	LED light-75 W	190	Rs. 90/Watt	Rs. 10/Watt	1425000
4	LED light-40 W	170	Rs. 90/Watt	Rs. 10/Watt	680000
5	Total Cost of LED lights				4691000
6	Infrastructure development charge		@ 10% of S.No.-5		469100
7	Project Management consultancy		@ 3% of S.No.-5 & 6		154803
	Total -		4783412.70	531490.30	5314903
(B)	Infrastructure Development Component				
S.No	Name of Material	Quantity	Supply Rate	Manpower cost	Amount (Rs.)
1	Supply & Installation of Pipe Earthing (40 dia 2.5m ling GI pipe for CCMS earthing)	16	2000	1000	48000
	Total -		32000	16000	48000
(C)	Supervision Cost (@ 15% of Manpower Cost)				Rs. 82123.54
Total Project Cost (A+B+C)					Rs. 5445026.54
				Say	Rs. 5445027

Munni/Shail./sanlekh/Sankap& Sanlekh EESl-8

5. उक्त योजना के अन्तर्गत बासुकीनाथ नगर पंचायत में वर्त्तमान में लगे हुए 544 पारंपरिक लाईट को बदलकर LED Light लगाने पर कुल रू० **53,14,903**/–की लागत आयेगी, जिससे प्रत्येक वर्ष 0.24 MU (Million Unit) ऊर्जा बचत होगी एवं मौजूदा बिजली की दर से रू० 10,83,924/– की बिजली बिल की बचत होगी। साथ ही, 544 लाईट के रखरखाव पर खर्च होनेवाले अनुमानित रू० 10,00,000/– की बचत होगी। इस प्रकार LED Light के अधिष्ठापन से कुल रू० 20,83,924/–की बचत होगी। इसके बदले बासुकीनाथ नगर पंचायत द्वारा M/s Energy Efficiency Services Ltd. को प्रतिवर्ष उक्त बचत राशि में से रू० 14,61,017/– का भुगतान किया जायेगा एवं M/s Energy Efficiency Services Ltd. को भुगतान के उपरांत नगर पंचायत को प्रतिवर्ष कुल रू० 6,22,907/– की बचत होगी।

6. बासुकीनाथ नगर पंचायत द्वारा उक्त रू० 14,61,017/– का भुगतान M/s Energy Efficiency Services Ltd. को अगले 07 वर्षों तक किया जायेगा। इस प्रकार प्रतिवर्ष प्रत्येक LED Light के लिए M/s Energy Efficiency Services Ltd. को 2,686/–रू० का भुगतान किया जायेगा।

3952
22/06/17

7. उक्त योजना के हेतु CCMS (Central Control & Monitoring System) के लिए Earthing के लिए लागत 48,000/–रू० तथा योजना का पर्यवेक्षण लागत 82,124/– रू० आयेगा, जिसका भुगतान नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा क्रमशः M/s Energy Efficiency Services Ltd. एवं झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को बासुकीनाथ नगर पंचायत के माध्यम से Upfront Payment Basis के आधार पर किये गए वास्तविक व्यय को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा।

8. M/s Energy Efficiency Services Ltd. द्वारा झारखण्ड के शहरी स्थानीय निकायों में Annuity Model के आधार पर LED स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के द्वारा M/s Energy Efficiency Services Ltd. के साथ MOU किया गया है। बासुकीनाथ नगर पंचायत हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव पर बासुकीनाथ नगर पंचायत के द्वारा M/s Energy Efficiency Services Ltd. के साथ MOU किया जायेगा, जिसके प्रारूप पर मंत्रिपरिषद झारखण्ड के स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

9. उक्त योजना हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड, राँची के द्वारा वहनीय व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं उत्तरोतर वर्षों में वृहत शहरी परिवहन योजनाएँ, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना मद के अन्तर्गत निम्नांकित बजट शीर्ष से किये जाने का प्रस्ताव हैः–

मुख्यशीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष–796 (191/789) के अन्तर्गत उपशीर्ष–79– वृहत शहरी परिवहन योजनाएँ, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान के अन्तर्गत उपबंधित तीनों प्रक्षेत्र (TSP/OSP/SCSP) से की जायेगी।

10. M/s Energy Efficiency Services Ltd. द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–4378 दिनांक–09.08.2016 के प्रावधानों तथा नगर विकास एवं आवास विभाग एवं बासुकीनाथ नगर पंचायत के साथ हस्ताक्षरित MOU के अनुरूप सेवाएँ प्रदान की जायेगी।

LED Light के अधिष्ठापन के पश्चात् अपेक्षित सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर 2% दंड शुल्क का प्रावधान किया गया है, जो AMC से वसूलनीय होगी। LED Street Light से संबंधित समस्त शिकायतों का निपटारा केन्द्रीयकृत व्यवस्था अन्तर्गत 48 घंटे के अंदर सर्वश्री EESL के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

11 बासुकीनाथ नगर पंचायत के द्वारा उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में LED Light अधिष्ठापित खम्भों पर विज्ञापन, आदि के माध्यम से नियमानुसार राजस्व संसाधन जुटाए जाएँगे, जिनका सर्वप्रथम उपयोग इस व्यवस्था के अन्तर्गत किए जाने वाले भुगतान हेतु किया जाएगा।

12. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–5/न0वि0/विविध (**EESL**)–26/2017 3952 राँची, दिनांक– 22/06/17

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची/नोडल पदाधिकारी, ई–गजटीय, नगर विकास एवं आवास विभाग को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–5/न0वि0/विविध (**EESL**)–26/2017 3952 राँची, दिनांक– 22/06/17

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/योजना–सह–वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी, बासुकीनाथ नगर पंचायत / अध्यक्ष, बासुकीनाथ नगर पंचायत/परियोजना निदेशक (प्रशासन), जुडको लिमिटेड/ उप सचिव, बजट शाखा/श्री कुणाल, विशेषज्ञ को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/ई–प्राक्यूरमेन्ट सेल, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव।